संख्या-4/2934/9-1-2014-426सा/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2014

विषय: नगर पंचायत सृजन हेतु निर्धारित मानको का पुनर्निधारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या'6250/9-1-86-77सा(3)/82, दिनांक 10 सितम्बर, 1986 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश् दिनांक 10 सितम्बर, 1986 को निरस्त करते हुए प्रदेश के किसी भी नगर, गॉव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु भविष्य में निम्नलिखित मानक होंगे :-

(1) प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 20,000 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(2) प्रस्तावित क्षेत्र की आय रूपये 30,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(3) प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए।

(4) प्रस्तावित क्षेत्र में सड़क यातायात अच्छा होना चाहिए।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रस्तावित क्षेत्र में शहरी गुण यथा- पुलिस थाना, विकास खण्ड, आस-पास व्यवसाय केन्द्र, स्कूल, हेल्थ सेन्टर, बिजली, बैंक, पोस्ट आफिस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. अत: किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण उपरोक्त मानकों के परिप्रेक्ष्य में किये जाय। **यदि प्रस्तावित क्षेत्र प्रस्तर-2 में उल्लिखित मानकों के आधार पर नगर पंचायत बनाने हेतु योग्य पाया जाए तो रूप-पत्र 1, 2, 3 एवं रूप-पत्र "ट" में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय--**

(1) प्रस्तावित क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या तथा उसका घनत्व क्या हैं ?

(2) संबंधित क्षेत्र के विगत तीन वर्षो की आय तथा व्यय के आंकड़े क्या हैं ?

(3) नगर पंचायत सृजन के फलस्वरूप आय तथा व्यय में कितनी वृद्धि होगी?

(4) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से शहरी गुण विद्यमान हैं?

(5) नगर पंचायत सृजन से उक्त क्षेत्र के निवासियों को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त होगी?

(6) प्रस्तावित नगर पंचायत में कितना कृषि क्षेत्र पड़ता है?

(7) कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोगों का जीवन यापन कृषि पर आधारित है तथा कितने प्रतिशत अन्य व्यवसाय के लोग है?

(8) प्रस्तावित क्षेत्र में क्या कोई स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या उसका बाईपास पड़ता है?

(9) प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाली लोक निहित सम्पत्ति की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी?

(10) प्रस्तावित नगर पंचायत का एक सम्यक् मानचित्र हो, जिसमें शामिल होने वाले ग्रामों/मजरों को स्पष्ट अंकित किया गया हो तथा लाल रेखा से सीमा प्रदर्शित करते हुए सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुयी गाटा

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याओं को भी अंकित किया गया हो।

(11) नक्शे के अनुरूप ही सीमा निर्धारण हेतु सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुयी गाटा संख्याओं का दिशावार विवरण (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) हिन्दी तथा अंग्रेजी में पृथक-पृथक दो-दो प्रतियों में उपलब्ध करायें। सीमा विवरण में दिशावार गाटा संख्याओं के समक्ष उनसे संबंधित ग्राम/मजरों के नाम का भी उल्लेख किया जाए।

4. अत: उक्त उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नगर पंचायतों के सृजन विषयक प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 2934(1)/9-1-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि नगर विकास विभाग के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in